08/05/26	प्रकरण विधिवत सुनवाई एवं निराकरण हेतु श्री आकृतजोत सिंह जे. एम. एफ. सी. देवास को अंतरित (सिंह) [illegible] न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला देवास (म.प्र.)	

08.05.2026

प्रकरण श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास के न्यायालय से अंतरण पर प्राप्त।

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0।

आवेदक/सुपुर्ददार द्वारा श्री आयुष तिवारी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण केस डायरी प्रस्तुति एवं आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

केस डायरी प्राप्त।

सुपुर्दगी आवेदन पर तर्क श्रवण किए गए।

प्रकरण कुछ समय पश्चात् आवेदन पर आदेश हेतु पेश हो।

(अभिजीत सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवास (म.प्र.)

पुनश्च–

पक्षकार पूर्ववत।

इस आदेश के माध्यम से उक्त आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–503 बी.एन.एस.एस का निराकरण किया जा रहा है।

प्रस्तुत आवेदन पत्र के माध्यम से सुपुर्ददार/आवेदक **मयंक नागेश पिता महेश नागेश, आयु–33 वर्ष, निवासी– 06 कुमार गली, जिला देवास म.प्र.** जप्तशुदा वाहन के रजिस्टर्ड स्वामी है। उक्त वाहन पुलिस द्वारा असत्य अपराध में जप्त कर लिया गया है। जप्तशुदा वाहन का किसी अपराध से कोई संबंध नहीं है। पुलिस द्वारा असत्य अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त वाहन के रखरखाव के अभाव में खराब होने की संभावना है। आवेदक को उक्त वाहन की आवश्यकता पड़ती रहती है। उक्त वाहन आवेदक के निजी कार्य में आता है। आवेदक उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने और न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तो का अक्षरतः पालन करने हेतु तत्पर है। अतः जप्तशुदा वाहन हीरो कंपनी की मोटरसायकल कमांक एम.पी. 41 जेड.जी. 5493 को योग्य सुपुर्दगी पर प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

एडीपीओ की ओर से आवेदन का लिखित जवाब प्रस्तुत ना करते हुए मौखिक रूप से आवेदन निरस्त किये जाने का

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . .of 20 . . . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

निवेदन किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि थाना आबकारी विभाग, जिला देवास के अपराध क्रमांक 49/2026 अंतर्गत धारा 34(1) क आबकारी अधिनियम 1915 में एक वाहन हीरो इलेक्ट्रिक दोपहिया को जप्त किया गया है। उक्त वाहन के संबंध में आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा परिवहन अधिकारी से उसके स्वत्व के संबंध में जानकारी वांछित की है और वाहन का चेचिस क्रमांक एम.बी.एल.सी.इ.डब्ल्यू.002आर.6के04553 का उल्लेख किया है। उक्त पत्र के अनुपालन में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा उपरोक्त चेचिस नंबर के वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम.पी. 41 जेड.जी 5493 बताया है और उसका मालिक मयंक पुत्र महेश नागेंश को बताया है जो कि हस्तगत आवेदन में आवेदक है। इस प्रकार यह दर्शित होता है कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन एवं वांछित वाहन एक ही है। वाहन हीरो कंपनी की मोटरसायकल क्रमांक एम.पी. 41 जेड.जी. 5493 को जप्त किया गया है। उक्त संबंध में विधिवत जप्ती पत्रक प्रकरण में तैयार किया जाना दर्शित है। उक्त दस्तावेजों की प्रति केस डायरी में संलग्न है।

वाहन के असल रजिस्ट्रेशन की प्रति के अवलोकन से दर्शित है कि जप्तशुदा हीरो कंपनी की मोटरसायकल क्रमांक एम. पी. 41 जेड.जी. 5493 मयंक पुत्र नागेश के नाम से पंजीबद्ध रही है। जप्तशुदा वाहन थाने में उचित रख रखाव के अभाव में खराब हो सकता है।

आवेदक ने वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र एवं शपथ–पत्र पेश किया गया है, जिसकी छायाप्रति प्रकरण पत्रावली में संलग्न की गई।

उपरोक्त तथ्यो पर विचारोपरांत आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन हीरो कंपनी की मोटरसायकल क्रमांक एम.पी. 41 जेड.जी. 5493 को यदि आवेदक/सुपुर्दगीदार के द्वारा संतुष्टिप्रद **स्वयं का छायाचित्र युक्त**

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

<u>राशि–1,00,000/–(एक लाख) रूपये का सुपुर्दगीनामा</u> निम्न शर्तों के अधीन निष्पादित किया जावें तो जप्तशुदा वाहन आवेदक को अंतरिम सुपुर्दनामा पर दिया जावें।

शर्त :–

1– आवेदक वाहन के मूल स्वरूप किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा ।

2– आवेदक वाहन को प्रकरण के लंबन काल के दौरान कही भी विक्रय या हस्तांतरित नहीं करेगा।

3– वह संपत्ति को सुरक्षित एवं उचित देखरेख में रखेगा।

4– वह न्यायालय के द्वारा आदेशित किए जाने पर स्वयं के व्यय पर उक्त संपत्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करे।

प्रकरण सुपुर्दनामा प्रस्तुति हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

(अभिजीत सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवास (म.प्र.)

<u>पश्चात्</u>

उपरोक्त आदेश के परिपालन में आवेदक/सुपुर्दगीदार की ओर से **<u>1,00,000/–रूपये</u>** का सुपुर्दनामा **<u>मयंक पुत्र महेश नागेश</u>** के द्वारा प्रस्तुत किया गया।

बाद तस्दीक, उपरांत प्रस्तुत सुपुर्दनामा स्वीकार की जाती है।

सुपुर्दगीदार की पहचान श्री आयुष तिवारी अधिवक्ता द्वारा की गयी।

सुपुर्दगी आदेश जारी हो।

केस डायरी वापस की जाये।

प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. में दर्ज कर समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(अभिजीत सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवास (म.प्र.)